

21/5/20

उभयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई तर
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हॉजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज विचार जात
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम का जामक
दाखिल दफ्तर हो।

+